ऑन लाईन नं.RCMS2020/00008

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 01/2020

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री दर्शन कुमार अग्रवाल —नमूना विक्रेता एवं मालिक—
   मै0 दर्शन ड्रेडिंग कम्पनी, पदमपुर रोड, भारत पेट्रोल पम्प के सामने, जैतसर, तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
   निवासी :— वार्ड नम्बर 15, जैतसर (4 जेएसडी) तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री मनीश कुमार पुत्र श्री दर्शन कुमार अग्रवाल —लाईसैंस धारक—
   फर्म—मैसर्स दर्शन ड्रेडिंग कम्पनी, पदमपुर रोड, भारत पेट्रोल पम्प के सामने, जैतसर, तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी— वार्ड नम्बर 15, जैतसर (4 जेएसडी) तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा (2)(2)/51 एवं 26(2)(5)/58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 26.05.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02019 को दोपहर बाद 3.00 बजे श्री राकेश सचदेवा, लेब तकनीषियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ वास्ते चैकिंग दर्शन ड्रेडिंग कम्पनी, पदमपुर रोड, भारत पेट्रोल पम्प के सामने, जैतसर, तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री दर्शन कुमार अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 15, जैतसर (4 जेएसडी) तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित को मैने अपना परिचय देकर उक्त दुकान का निरीक्षण किया तो दुकान में रखी एक एल्यूमिनियम की टंकी में लगभग 20 किलोग्राम सरसों का तेल **Mustard Oil** खुला (**Loose**) आमजन को विक्रय हेतु रखा था। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या **K-950** के नमूनीकरण के लिए 1.6 किगा सरसों का तेल **Mustard Oil** खुला (**Loose**) खरीदा जिसकी कीमत 160/—रू0 (अखरे रूपये एक सौ साठ मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीषियन एवं श्री तुलसी राम के हस्ताक्षर है

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा के ने भी हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर–5 की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 05 पर सरसों का तेल **Mustard Oil** खुला **(Loose)** विक्रेता श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री दर्शन कुमार अग्रवाल एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सरसों का तेल **Mustard Oil** खुला **(Loose)** बराबर–बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर उनके ढक्कनों को कस कर बंद किया एवं उन पर टेप चिपकाई। इसके बाद इन चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-950** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **K-950** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/378/एक्ट/2019/361 दिनांक 01.03.2019 **नमूना K-950** सरसों का तेल **Mustard Oil** खुला **(Loose)** मानक **स्तर FSS (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011** के **Regulation No-2.3.15 (I)(b)** का **Contravene** पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त रजीनश कुमार पुत्र श्री दर्शन कुमार अग्रवाल द्वारा अमानक स्तर सरसों का तेल **Mustard Oil** खुला **(Loose)** धारा 26(2)(2)/51 एवं 26(2)(5)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 05.02.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 लेते समय फर्द रिपोर्ट पर ब्रास सिल नं. 3 लगाई गई है जबकि आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पृष्ठ संख्या 22 में उक्त ब्रास सिल नम्बर 3 आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जयपुर द्वारा कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ हेतु आवंटित की गई है जबकि श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र हेतु ब्रास सिल नम्बर 92 आवंटित की गई है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्बन्धित वाद में भी एफएसओ द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से एफएसएसए के नियमानुसार नहीं किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 लेते समय फर्द रिपोर्ट में पदार्थ का सैम्पल नमूनीकरण से पहले किस आधान/बर्तन में सैम्पल लिया गया नहीं बताया है तथा उक्त लिये गये सैम्पल को किस आधान में किस साधन से एकरूपता प्रदान की गई थी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फर्द रिपोर्ट की पंक्ति में लिखे गये शब्दों को काटा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 का उक्त परिवाद /इस्तगासा प्रस्तुत करते समय भी पदार्थ के एकरूपता प्रदान करने व सम्पैल हेतु लिये गये आधार का कोई ब्योरा नहीं दिया गया है जिससे यह साबित होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 लेते समय एफएसएसए के नियमों की पालना नहीं की गई है। न्याय दृष्टान्त एफएसी 207,2014(1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 लेते समय फर्द रिपोर्ट पर दिनांक 15.02.2019 व समय 3.00 पीएम अंकित किया है जबकि उक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दिनांक को ही समय 1.00 पीएम पर दो अन्य नमूना संख्या के–948 तथा के–949 भी लिये गये थे जबकि एक दुकान का निरीक्षण करके एक नमूना की सम्पूर्ण कार्यवाही करने में लगभग 90 मिनट से 120 मिनट का समय लगता है। मौके पर फार्म संख्या 5, फर्द रिपोर्ट, बिल खरीद, सैम्पल लेना व उसे एकरूपता प्रदान करना, चार खाली शिशियां लेकर उनमें एकरूप करने के उपरानत बराबर–बराबर मात्रा में पदार्थ डालना, उसके पश्चात मौके पर ही चार लेबल बनाने व मौके पर ही गवाहान के हस्ताक्षर व स्वयं के तथा विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये जाने के पश्चात मोहर लगाकर मौके पर ही चारों शिशियों पर लेबल चिपकाकर खाखी कागजों में चारों शिशियों को लपेटकर गोंद से कागज चिपकाकर अभिहित अधिकारी द्वारा दी गई हस्ताक्षरशुदा स्लीप चारों शिशियों पर गोंद से चिपकाकर उसके पश्चात धागे से चारों शिशियों को बांधकर सिल मोहर लगाई गई व विक्रेता , गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर किये गये। एक पदार्थ के एक नमूनीकरण हेतु उक्त समस्त प्रकिया को करने में लगभग 90 से 120 मिनट का समय लगता है। जिससे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 संदिग्ध प्रतीत होता है। यह पता चलता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना सं. के–950 लेते समय नमूनीकरण का कार्य नियमानुसार नहीं किया गया है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 में गवाहान श्री तुलसीराम का भी मौजूद होना व हस्ताक्षर करना वताया है जबकि उक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दिनांक को ही समय 1.00 पीएम पर दो अन्य नमूना संख्या के–948 तथा के–949 भी लिये गये थे जबकि गवाह श्री तुलसीराम को तीनों नमूनीकरण में गवाह बताया गया है

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जबकि नमूनीकरण का कार्य अलग–अलग समय पर अलग–अलग फर्म के व्यवसायिक स्थान पर किया गया है। इससे संदेह होता है कि गवाह तुलसी राम विभागीय कार्यवही के दौरान उक्त दोनो व्यावसायिक परिसरों में एफएसओ के साथ ही रहा था। गवाह तुलसी राम की गवाही व नमूनीकरण का कार्य संदेहास्पद होने के कारण भी वाद निरस्तणीय है।

5. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 के आवेदन को एफवीओ के विरूद्व धारा 31(1) का उल्लधन करने के आधार पर इस्तगासा माननीय न्यायालय में पेश किया गया है जबकि मिन अप्रार्थी एफवीओं के पास राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक जारी किया गया है। मिन अप्रार्थी एफवीओ के द्वारा धारा 31(1) का कोई उल्लधंन नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत इस्तगासा विरूद्व मिन अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 31(1) पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तणीय है।
6. खाद्य सुरक्षा अधिकारी व गवाहान को गवाही के उद्वेश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावें जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है।
7. यह कि प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है तथा उक्त परिवाद में धारा 39 का उल्लंधन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया है जिसकी शास्ति/जुर्माना खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर विधिनुसार अधिरोपित कि जाकर वाद सव्यय निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

टतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना संख्या के–950 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जॉच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी वहस में वताया कि अभियुक्त से लिया गया सरसों का तेल **Mustard Oil** खुला (**Loose**) का सैम्पल **K-950** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/378/ एक्ट/ 2019/361 दिनांक 01.03.2019 द्वारा **FSS (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011** के **Regulation No-2.3.15 (I)(b)** का **Contravene** पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26(2)(2)/51 एवं 26(2)(5)/58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध सावित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वहस में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 लेते समय फर्द रिपोर्ट पर व्रास सिल नं. 3 लगाई गई है जवकि आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पृष्ठ संख्या 22 में उक्त व्रास सिल नम्वर 3 आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जयपुर द्वारा कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ हेतु आवंटित की गई है जवकि श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र हेतु व्रास सिल नम्वर 92 आवंटित की गई है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्वन्धित वाद में भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

एफएसओ द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से एफएसएसए के नियमानुसार नहीं किया गया है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 लेते समय फर्द रिपोर्ट में पदार्थ का सैम्पल नमूनीकरण से पहले किस आधान/बर्तन में सैम्पल लिया गया नहीं बताया है तथा उक्त लिये गये सैम्पल को किस आधान में किस साधन से एकरूपता प्रदान की गई थी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फर्द रिपोर्ट की पंक्ति में लिखे गये शब्दों को काटा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 का उक्त परिवाद /इस्तगासा प्रस्तुत करते समय भी पदार्थ के एकरूपता प्रदान करने व सम्पैल हेतु लिये गये आधार का कोई ब्योरा नहीं दिया गया है जिससे यह साबित होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 लेते समय एफएसएसए के नियमों की पालना नहीं की गई है। न्याय दृष्टान्त एफएसी 207,2014(1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 लेते समय फर्द रिपोर्ट पर दिनांक 15.02.2019 व समय 3.00 पीएम अंकित किया है जबकि उक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दिनांक को ही समय 1.00 पीएम पर दो अन्य नमूना संख्या के–948 तथा के–949 भी लिये गये थे जबकि एक दुकान का निरीक्षण करके एक नमूना की सम्पूर्ण कार्यवाही करने में लगभग 90 मिनट से 120 मिनट का समय लगता है। मौके पर फार्म संख्या 5, फर्द रिपोर्ट, बिल खरीद, सैम्पल लेना व उसे एकरूपता प्रदान करना, चार खाली शिशियां लेकर उनमें एकरूप करने के उपरानत बराबर–बराबर मात्रा में पदार्थ डालना, उसके प्श्चात मौके पर ही चार लेबल बनाने व मौके पर ही गवाहान के हस्ताक्षर व स्वयं के तथा विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये जाने के पश्चात मोहर लगाकर मौके पर ही चारों शिशियों पर लेबल चिपकाकर खाखी कागजों में चारों शिशियों को लपेटकर गोंद से कागज चिपकाकर अभिहित अधिकारी द्वारा दी गई हस्ताक्षरशुदा स्लीप चारों शिशियों पर गोंद से चिपकाकर उसके पश्चात धागे से चारों शिशियों को बांधकर सिल मोहर लगाई गई व विक्रेता , गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर किये गये। एक पदार्थ के एक नमूनीकरण हेतु उक्त समस्त प्रक्रिया को करने में लगभग 90 से 120 मिनट का समय लगता है। जिससे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 संदिग्ध प्रतीत होता है। यह पता चलता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना सं. के–950 लेते समय नमूनीकरण का कार्य नियमानुसार नहीं किया गया है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 में गवाहान श्री तुलसीराम का भी मौजूद होना व हस्ताक्षर करना बताया है जबकि उक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दिनांक को ही समय 1.00 पीएम पर दो अन्य नमूना संख्या के–948 तथा के–949 भी लिये गये थे जबकि गवाह श्री तुलसीराम को तीनों नमूनीकरण में गवाह बताया गया है जबकि नमूनीकरण का कार्य अलग–अलग समय पर अलग–अलग फर्म के व्यवसायिक स्थान पर किया गया है। इससे संदेह होता है कि गवाह तुलसी राम विभागीय कार्यवही के दौरान उक्त दोनो व्यावसायिक परिसरों में एफएसओ के साथ ही रहा था। गवाह तुलसी राम की गवाही व नमूनीकरण का कार्य संदेहास्पद होने के कारण भी वाद निरस्तणीय है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–950 के आवेदन को एफबीओ के विरूद्व धारा 31(1) का उल्लधन करने के आधार पर इस्तगासा माननीय न्यायालय में पेश किया गया है जबकि मिन अप्रार्थी एफबीओं के पास राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक जारी किया गया है। मिन अप्रार्थी एफबीओ के द्वारा धारा 31(1) का कोई उल्लधंन नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत इस्तगासा विरूद्व मिन अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 31(1) पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तणीय है।यह कि प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है तथा उक्त परिवाद में धारा 39 का उल्लंधन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया है जिसकी शास्ति/जुर्माना खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर विधिनुसार अधिरोपित कि जाकर वाद सव्यय निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। टतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना संख्या के–950 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जॉच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 01.03.2019 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/51एवं 26(2)(5)/58 का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 एवं 58 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात सरसों का तेल **Mustard Oil** खुला (**Loose**) विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(1) की श्रेणी में आता है। अभियुक्त रजनीश कुमार पुत्र श्री दर्शन कुमार अग्रवाल –नमूना विक्रेता एवं मालिक –पर **FSS (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011** के **Regulation No-2.3.15 (I)(b)** का **Contravene** के तहत सरसों का तेल **Mustard Oil** खुला (**Loose**) का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/51 एवं 26(2)(5)/58 एवं धारा 31(1) के तहत 10,000/– (अखरे रूपये दस हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सरसों का तेल **Mustard Oil** खुला (**Loose**) का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए नियमानुसार निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में सरसों का तेल **Mustard Oil** खुला (**Loose**) के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।